न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 155/2019

वाद दायरी दिनांक : 27/12/2019

निर्णय दिनांक : 23/02/2021

श्रीमती संजू देवी पुत्री राधाकिशन पत्नी कैलाशचन्द शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद हाल निवासी कालिन्दी बंगलोस, नियर परिवार चार रास्ता वाघोडिया, दाभोई, रिंग रोड वडोदरा अजवा रोड पदरा वडोदरा गुजरात 390019

-- प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
(अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 व 136 एल.आर.एक्ट)

उपस्थिति – श्री उदय सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीया

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (फा0 ट्रे0) दूदू

निर्णय दिनांक 23/02/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 26 के आराजी खसरा नम्बर 102, 105, 106, 107, 492, 493, 498, 501 कुल किता 08 कुल रकबा 2.5700 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 69 की आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद तथा खाता संख्या 187 के आराजी खसरा नम्बर 555 कुल किता 01 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम कल्याणपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खाता संख्या 187 में वादीया का हिस्सा 1/2, खाता संख्या 26 में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

वादीया का 1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 69 में 1/6 हिस्सा दर्ज है एवं इसी अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात के साविक खसरा नम्बर 2963, 2961, 2958, 2954, 2816, 2812, 2809, 2879 वाके ग्राम मूंगीथला एवं खसरा नम्बर 3236/1 व 3236/3 वाके ग्राम कल्याणपुरा, तहसील मौजमाबाद हैं। उक्त आराजी पूर्व में वादीया के पिता की आराजीयात रही है, वादीया का जन्म सन् 1988 में हुआ था, जब वादीया के पिता का स्वर्गवास हुआ, तब वादीया 4–5 साल की थी सन् 1993 में विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 2426 व 102 जो तस्दीक किया गया, उसमें वादीया का बोलता नाम घीसी का इन्द्राज कर दिया गया, जबकि वादीया का सही एव वास्तविक नाम सन्जू है, इस प्रकार उक्त इन्द्राज जो घीसी का किया गया है, जो कि गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया, जो काबिले दुरूस्तनीय हैं। इस प्रकार उक्त त्रुटि जो हुई है, वह मात्र राजस्व कारकुनानों की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी के समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, टी.सी., बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में वादीया का नाम सन्जू ही दर्ज है, जिससे भी साबित है कि वादीया का सही एवं वास्तविक नाम संजू ही है, लेकिन जो इन्द्राज उक्त खाते में घीसी का किया गया है, वह सहवन से बोलता नाम होने से किया गया हैं। वादीया ने अभी हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 08/07/2019 को प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादीया ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादीया को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादीया ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीया का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज वादीया का नाम घीसी को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर संजू देवी दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करावें। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0 को लिखा जावें।"

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीया साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादीया व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीया व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संख्या 26, 69 सम्वत 2073 से 2076 वाके ग्राम मूंगीथला, नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम मूंगीथला व कल्याणपुरा, नकल नामान्तरकरण संख्या 2426 वाके ग्राम सेवा मूंगीथला, नकल नामान्तरकरण संख्या 102 वाके ग्राम कल्याणपुरा, नकल जमाबन्दीसंख्या 114 सम्वत 2046 से 2049 वाके ग्राम सेवा, फोटो कॉलोपी आधारकार्ड संजू शर्मा, पहचान पत्र संजू शर्मा, टी.सी. संजूदेवी एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैकि मूंगीथला के हाल खसरा नम्बर 102, 105 से 107, 492, 493, 498, 501 किता 8 रकबा 2.57 हैक्टेयर में घीसी पुत्री राधाकिशन का हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बर 205 में हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट व ग्राम पंचायत सेवा के प्रमाण–पत्र अनुसार घीसीदेवी पुत्री राधाकिशन कौम खाती को संजूदेवी पुत्री राधाकिशन कौम खाती के नाम से भी जाना जाता हैं। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अनुसार रिकार्ड में जाति खाती दर्ज हैं जाति ब्राहाम्ण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नही हैं। प्रार्थीया अपना नाम घीसीदेवी के बजाय संजूदेवी करवाना चाहती हैं। प्रार्थीया का घीसीदेवी नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2426 वर्ष 1993 (विरासत) के जरिये आया हैं। अतः नामान्तरकरण की नकल, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी, ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र रिपोर्ट पटवारी संलग्न कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सादर प्रेषित हैं।''

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 26 व 187 में वादीया का नाम घीसी पुत्री राधाकिशन दर्ज है, जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधारकार्ड, पहचान–पत्र आदि में वादीया का नाम संजू शर्मा दर्ज हैं। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार घीसी पुत्री राधाकिशन कौम खाती को संजूदेवी पुत्री राधाकिशन जाति खाती के नाम से भी जाना

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

जाता हैं। इस प्रकार से पाया जाता है कि विवादित आराजी जो कि वादीया को जरिये विरासत प्राप्त हुयी उसमें वादीया का बोलता नाम घीसीदेवी दर्ज कर दिया गया जबकि वादीया का सही नाम संजू देवी हैं। जिसको अब वादीया दुरूस्ती करवाना चाहती हैं। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट से भी वादीया के वाद की ताईद होती हैं। साथ ही वादीया ने अपनी जाति भी खाती के बजाय ब्राहाम्ण दुरूस्त करवाना चाही है, लेकिन वादीया ने अपने वाद–पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे यह साबित हो कि वादीया की जाति खाती न होकर ब्राहाम्ण हो। ऐसी स्थिति में वादीया की जाति दुरूस्ती बाबत दादरसी मानने योग्य प्रतीत नही होती हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से वादीया का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीया का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 26 के आराजी खसरा नम्बर 102, 105, 106, 107, 492, 493, 498, 501 कुल किता 08 कुल रकबा 2.5700 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 69 की आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद तथा खाता संख्या 187 के आराजी खसरा नम्बर 555 कुल किता 01 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम कल्याणपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में दर्ज खातेदार वादीया का नाम घीसी को हजफ कर उसके स्थान पर श्रीमती संजू देवी दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(कूकस (जयपुर))

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आं. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत RAS

श्रीमति सन्तुदेवी पुत्री राधाकिशन पत्नी कैलाशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण, नि० मुंडीयाला तह० मौजमाबाद (जयपुर) बनाम तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद (जयपुर) दावा बाबत योजना इस्लाम? ... [illegible]

मुकद्दमा न. 155 सन् 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री उदय सिंह चौधरी वरी वकील

मिनजानिब मुद्दायलह पेश हाकर ... [illegible]

दावीया मनवाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता नं० 26 के आराजी ख० नं० 102, 105, 106, 107, 492, 493, 498, 501 कुल किता 08 कुल रकबा 2.5700 हे० एवं खतौनी नं० 69 की आराजी ख०नं० 205 रकबा 0.2500 हे० वाके ग्राम मुंडीयाला, तहसील मौजमाबाद तथा खाता नं० 187 के आराजी ख०नं० 555 कुल किता 01 रकबा 2.5300 हे० मुताबिके ग्राम कल्याणपुरा तह० मौजमाबाद जिला जयपुर में दर्ज खातेदार ... आराजी भूमि को इन्द्राज कर उसके स्थान पर श्रीमति सन्तु देवी इन्द्राज किया जाता है। का अदा करे।

दसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर आहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

सहायक कलक्टर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजाह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए